न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

Spl. (SC/ST) Case No.85/2020

आनंद मिश्रा उर्फ चुन्ना एवं 01 अन्य।
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री विष्णुकांत मिश्र, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री कलानंद राम, विद्वान विषेष लोक अभियोजक।

11.11.2022
02 आवेदकगण 1–आनंद मिश्रा उर्फ चुन्ना, 2–टुन्नू कुमारी उर्फ प्रियंदा भार्गव की ओर से SC/ST Case No. 33/2020 U/S-341, 323, 504, 506/34 I.P.C. & 3(i)(r) of the SC/ST Act के संदर्भ में आत्मसमर्पण आवेदन एवं जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। उपरोक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आत्मसमर्पण आवेदन एवं जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, सूचिका कौशल्या देवी के अनुसार दिनांक–11.03.2020 को समय करीब 4 बजे अपराहन में विनय कुमार मंडल के घर पर मजदूरी करने गयी थी उसी समय प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण उसके मालिक के आंगन में घुस गया और सूचिका को जाति सूचक शब्द से गाली–गलौज करने लगे, सूचिका गाली देने से मना किया तो आनंद मिश्रा उसके बाल पकड़कर लाठी से उसके हाथ में मारकर जख्मी कर दिया। अन्य अभियुक्त उसे पकड़कर खींचते हुए आंगन से बाहर लाया और कहा इसे जान से मार दो। अभियुक्तगण उसका पहना हुआ कपड़ा फाड़कर अर्द्धनग्न कर दिया तथा पहना हुआ गहना छीन लिया एवं आंचल से एक हजार रूपया ले लिया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण के विरूद्ध एक मुकदमा दर्ज है। आवेदकगण निर्दोष व्यक्ति है और और कोई अपराध कारित नहीं किये हैं। आवेदकगण ग्रामीण राजनीति एवं जमीनी विवाद के कारण इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है तथा कथन करते हैं कि सूचिका को न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस किये थे।

11.11.2022 Spl. (SC/ST) Case No.85/2020

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, प्राथमिकी 7 दिनों की विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसमें विलम्ब का कारण सरकारी अस्पताल में ईलाज बताया गया है, परन्तु कांड दैनिकी के कंडिका–36 में दर्ज जख्म प्रतिवेदन के अनुसार घटना के ही दिन सूचिका का चिकित्सकीय जॉच हुआ था जिसमें उसके शरीर पर एक जख्म भोथरे वस्तु से कारित पाया गया था तथा कंडिका–40 में दर्ज पूरक जख्म प्रतिवेदन के अनुसार जख्म की प्रकृति सामान्य है। साक्षियों ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया है। आवेदक पर कोई गंभीर आरोप नहीं है। सूचिका द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर संधि की बात बतायी गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आवेदकगण को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है कि –

1–आवेदकगण न्यायालय में समय से उचित पैरवी करेंगे।

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया